भीलवाड़ा में प्रवासन सर्वेक्षण शुरू, आमजन के सहयोग से बनेंगी बेहतर योजनाएं

■ इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रवासन के प्रमुख कारणों, परिवार से उनके संबंध, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव तथा प्रवास से जुड़े सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं की जानकारी एकत्रित करना है

भीलवाड़ा(निसं)। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 81वें दौर के अंतर्गत प्रवासन विषय पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशभर में चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिले के चयनित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण किया जाएगा।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भीलवाड़ा की उपनिदेशक डॉ. सोनल राज कोठारी ने बताया कि वर्तमान समय में रोजगार, शिक्षा, विवाह एवं अन्य कारणों से बड़ी संख्या में लोग अपने मूल निवास स्थान से अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रवासन के प्रमुख कारणों, परिवार से उनके संबंध, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव तथा प्रवास से जुड़े सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं की जानकारी एकत्रित करना है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य में रोजगार, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी एवं जरूरत आधारित बना सकेगी। उन्होंने बताया कि जिले में सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के 28 तथा शहरी क्षेत्र के 12 नमूना (सैंपल) क्षेत्रों का चयन किया गया है।

प्रथम चरण में अगस्त माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह के दौरान शाहपुरा के नर्सिंगपुरा, कोटड़ी के गोठड़ा, मांडलगढ़ के देवलीपुरा, आसीन्द के सापोला तथा माण्डल क्षेत्र के भादू एवं करेड़ा गांवों में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकृत प्रगणक घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान परिवार से सामान्य जानकारी के साथ-साथ प्रवासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। इनमें परिवार के ऐसे सदस्यों के संबंध में जानकारी ली जाएगी जो रोजगार, शिक्षा, विवाह अथवा अन्य कारणों से घर से बाहर रह रहे हैं।

इसके अतिरिक्त वे किस शहर, राज्य अथवा देश में रहते हैं, वर्ष में कितनी बार घर आते हैं, क्या वे परिवार को आर्थिक सहायता भेजते हैं, उस राशि का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, प्रवासन का मुख्य कारण क्या है तथा इसका परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही परिवार एवं प्रवासी सदस्यों से संबंधित आवश्यक सांख्यिकीय जानकारी भी संकलित की जाएगी। डॉ. कोठारी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि जब विभाग के अधिकृत प्रगणक उनके घर सर्वेक्षण के लिए आएं, तब उन्हें सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सभी जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी तथा उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य विभाग अथवा संस्था को साझा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक सही जानकारी सरकार को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इसलिए जिले के सभी नागरिक राष्ट्रीय महत्व के इस सर्वेक्षण में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

मसूदा में नवनिर्मित पानी की टंकी से लोगो को मिलेगी राहत

मसूदा, (निसं)। नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जलदाय विभाग ने 2.50 लाख लीटर क्षमता की नई ऊंची पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अब इसके लोकार्पण का इंतजार है। टंकी शुरू होते ही नगर में जल भंडारण क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे वर्तमान में 72 घंटे के अंतराल पर मिलने वाला पानी 48 घंटे के अंतराल पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

NAME CHANGE

I FULAN is Wife of Army No. 15785731F Rank- HAV Name- BHARAT SINGH Serving in Indian Army That I have changed my Name in my Husband Army service record from FULAN to FULAN DEVI Vide Affidavit No. CP 206489 Before Court Nasirabad

आम सूचना

इस आम सूचना के जरिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार श्रीमती किरण कवँर पत्नी श्री किशन सिंह भाटी, निवासी बोराज रोड़, बड़ी नागफनी अजमेर, के निर्देशानुसार सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का पुत्र राजेश सिंह भाटी मेरे पक्षकरा के कहे अनुसार नही रहता एवं उसका आचरण और व्यवहार पक्षकार के विरूद्ध व पारिवारिक मर्यादा के विपरीत है इसलिए आज के बाद मेरे पक्षकार के पुत्र को मेरा पक्षकार सभी प्रकार के पारिवारिक संबंधो चल व अचल सम्पति के अधिकारों से बेदखल करती है एवं आज के बाद जो भी व्यक्ति मेरे पक्षकार के पुत्र राजेश सिंह भाटी के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन व्यवहार या व्यवसायिक संबंध रखता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा इसमें मेरे पक्षकार की कोई जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व नही होगा।

-खेमचन्द चौधरिया, अधिवक्ता

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की दीन दयाल पुरम योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ई-164 क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर के आवंटी श्री रशमी दूदानी पत्नि स्व. श्री कमलेश कुमार निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 20.03.2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत 01.07.2014) सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती दीप्ति प्रमोद कुमार पत्नि श्री प्रमोद कुमार निवासी जोधपुर (राज.) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर 01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक न.पा.वि/भूमि/2026/2984 आम सूचना दिनांक : 31.7.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कोलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं	आवेदक क्रमांक	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं	क्षेत्रफल
1.	LD/VJNR/ 2026-27/443692	1. उमा टेलर पत्नी विनोद कुमार टेलर 2. आभा कुमावत पत्नी सन्दीप कुमावत	सुखदेव कॉलोनी बिजयनगर	170 व 171	51	106.44 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर

टेलीफोन नम्बर – 01462-230051 ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक / न.पा.वि. / भूमि / 2026 / 2959 आम सूचना दिनांक : 30-7-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर लगी निम्न कोलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टा दिये जायेंगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू. सं.	क्षेत्रफल
1	LDV/JNR/ 2026-27/343686	(1) महावीर प्रसाद लढा पुत्र बालमुकुन्द लढा (2) कन्हैयालाल माहेश्वरी पुत्र गणेश राम माहेश्वरी (3) घनश्याम माहेश्वरी पुत्र गणेश राम माहेश्वरी (4) सीता माहेश्वरी पत्नी कैलाश माहेश्वरी (5) विद्याम देवी पत्नी रामनिवास (6) योगेश पुत्र रामनिवास (7) मधु पुत्री रामनिवास	शिवनगर बरल द्वितीय	791, 795, 797, 798	74	200.66 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर

टेलीफोन नम्बर – 01462-230051 ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक / न.पा.वि. / भूमि / 2026 / 2968 आम सूचना दिनांक : 30-7-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर लगी निम्न कोलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेंगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

क्र. सं.	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू. सं.	क्षेत्रफल
1	LDV/JNR/ 2026-27/458686	सितु तातोड़/राकेश तातोड़	शिवनगर	1018	11 का पूर्वी दिशा का हिस्सा व 14 का उत्तरी दिशा का हिस्सा	813.50 वर्ग फीट

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 768 जाहिर आम सूचना दिनांक - 31/7/26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3-क-37 आनासागर सरयूलर रोड, अजमेर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर मूल आवटी श्रीमती निर्मला देवी शर्मा पत्नि श्री सुखदेव शर्मा को आवंटित कर दिनांक 30.05.1984 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्रीमती निर्मला देवी शर्मा पत्नि श्री सुखदेव शर्मा द्वारा दिनांक 16.03.1992 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती निर्मला देवी शर्मा पत्नि स्व. श्री सुखदेव शर्मा द्वारा आवास का वैचान श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द व श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री बुद्रीलाल को दिनांक 09.09.2003 को कर दिया गया। पुनः श्रीमती सुनीता देवी व श्री सुरेशचन्द द्वारा आवास का वैचान श्री सुनील खत्री पुत्र श्री रमेश खत्री व श्री मोहन खत्री पुत्र श्री लालचन्द खत्री को दिनांक 10.07.2026 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1085 में पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 202603002111793 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4340 के पृष्ठ संख्या 420 से 432 पर दिनांक 10.07.2026 को चस्पा किया गया है। अब श्री सुनील खत्री पुत्र श्री रमेश खत्री व श्री मोहन खत्री पुत्र श्री लालचन्द खत्री ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री सुनील खत्री पुत्र श्री रमेश खत्री व श्री मोहन खत्री पुत्र श्री लालचन्द खत्री का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel. No.: 01462-258665, 257509 E-mail Id: npbeawar@gmail.com

क्रमांक / 69A / 2026-27/5172 आम सूचना दिनांक : 31-7-26

शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत निम्न आवेदकों ने 69ए के तहत पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु उनके नाम के सामने अंकित स्थानों / क्षेत्रफल का आवेदन किया है।

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	आवेदित भूखण्ड का पता	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
1.	श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ ब्यावर अध्यक्ष :- श्री विमल चंद सूराना, मंत्री मनीष कुमार मेहता	म्यु नं. 2/599, मकान नं.18 बरेलीवाला नोहरा, बघाना गली ब्यावर	357.87	संस्थान
2.	श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छीय हाला संस्थान ब्यावर कोषाध्यक्ष :- श्री मितेश चौपड़ा पुत्र मांगठा चन्द	प्लाट नं. 12,13,14,15, पोखरगंज नेहरू गेट बाहर ब्यावर	869.57	संस्थान
3.	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री प्रहलादराय	म्यु. नं. 05 मानगंज मोहल्ला, मसूदा रोड ब्यावर	73.86	वाणिज्यिक
4.	श्री अभिषेक मेहता पुत्र श्री प्रकाश चन्ड मेहता	म्यू नं. 2/487 नया नं. 05 मकान नं. 08, क्षेत्र नं. 02, साई का तकिया गली ब्यावर	83.10	मिश्रित

उपरोक्त सूची वर्णित जायदादो के अनुसार 69 ए मे अन्तर्गत पट्टे दिये जाने है। किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में साक्ष्य / दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक:न.पा.वि. / निमार्ण, स्त्री. / 2026 / 2868 -: आम सूचना :- दिनांक : 28.07.26

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपत्ति मान्य नहीं होगी। :-

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का माप	प्रयोजनार्थ
91	सुगनी देवी पत्नि रणजीत सिंह चौधरी	जैन कॉलोनी ख.सं. 306 से 311 व 319 से 322 भू.सं. 01 मय खांचा भूमि का उत्तरी हिस्सा प्रा.नं. 01-र	58.02 SQ.MTR	आवासीय
92	मैना देवी जैन पत्नि राजेन्द्र कुमार	अमर रेसीडेंसी बरल द्वितीय ख.सं. 2446/2059 भू.सं. 23	83.60 SQ.MTR	आवासीय
93	इस्तामुद्दीन लखारा पुत्र बदरूदीन लखारा	राजस्व ग्राम विजयनगर ख.सं. 533, 534 भू. सं. 15	74.78 SQ.MTR	आवासीय

– अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

झलकारी बाई स्मारक के पास पंचशील नगर रोड़, अजमेर (राज0) फोन नं. 0145-2429971, 2429920

ईमेल आईडी :-ajmermc@gmail.com वेबसाईट : www.ajmermc.org

क्रमांक - योजना / 2026-27 / -: सार्वजनिक सूचना: - दिनांक :

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आशीष गर्गिया पुत्र श्री सोभाग्य मल गर्गिया निवासी ए-16 सागर विहार वैशाली नगर, अजमेर के द्वारा नगर निगम की वैशाली नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या A-16 क्षेत्रफल 299 वर्गगज का नामान्तरण करवाये जाने बाबत दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सं. LSG/AJMER/MUT/2026-27/198320 दिनांक 09.07.2026 को नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री सोभाग्य मल गर्गिया एवं श्रीमती चन्द्रकांता के नाम आवंटित है। श्री सोभाग्य मल गर्गिया का स्वर्गवास दिनांक 02.06.2025 एवं श्रीमती चन्द्रकांता का स्वर्गवास दिनांक 28.09.2025 को हो चुका है। श्री सोभाग्य मल गर्गिया एवं श्रीमती चन्द्रकांता जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 20.12.2017 के द्वारा श्री आशीष गर्गिया को वसीयत निष्पादित की गई। उक्त प्रकरण का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 116 के तहत आवेदित है जिसका निष्पादन धारा 118 के तहत प्रक्रियाधीन किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपत्ति प्रकाशन से 07 दिवस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अजमेर नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा में देखने / पढ़ने के लिए खुला रखा गया है। इस अवधि में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति / आम खास को कोई आपत्ति उज्र हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस में मय पुख्ता दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि / कृषि भूमि नियमन / 2026 / 1370 दिनांक:- 30.07.26

-: आम सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम किशनगढ़-बी के खसरा 150 व 154 मे स्वीकृत आवासीय योजना में विकासकर्ता प्रिया कंस्ट्रक्शन एण्ड सर्विसेज के द्वारा अयोजित भूखण्डो के पटटा विलेख प्राविजनल आवंटन पत्र के आधार पर प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। उक्त आवेदित आवेदित भूखण्डो के पटटा के संबंध किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियाँ/मय साक्ष्य /विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1.	श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री हनुमान सिंह यादव	बी-29	125.00
2.	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरी नारायण शर्मा	बी-11	200.00

आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: योजना/2026-27/ सार्वजनिक सूचना दिनांक:

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ललित कुमार टिबयानी पुत्र श्री भागचंद टिबयानी निवासी 98 सिंगल स्टोरी यू.आई.टी. कॉलोनी माकड़वाली रोड, अजमेर के द्वारा नगर निगम की आनासागर सरयुलर रोड ई.डब्लू.एस. योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 98 क्षेत्रफल 47.84 वर्गगज का नामान्तरण करवाये जाने बाबत दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सं. LSG/AJMER/MUT/2026-27/202328 दिनांक 19.07.2026 को नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमती शोभा टिबयानी पत्नी श्री भागचंद टिबयानी के नाम अंतरित है। श्रीमती शोभा टिबयानी का स्वर्गवास दिनांक 05.04.2025 को हो चुका है। सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती भारती (पुत्री), कविता आसवानी (पुत्री), ललित कुमार टिबयानी (पुत्र) एवं अलका (पुत्री) विधिक वारिस है। उपरोक्त वारिसों ने जरिये पंजीकृत इकरारनाम पत्र दिनांक 15.07.2026 द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री ललित कुमार टिबयानी के पक्ष में हकत्याग पत्र निष्पादित किया गया है। उक्त प्रकरण का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 116 के तहत आवेदित है जिसका निष्पादन धारा 118 के तहत प्रक्रियाधीन किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपत्ति प्रकाशन से 15 दिवस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अजमेर नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा में देखने / पढ़ने के लिए खुला रखा गया है इस अवधि में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति/आम खास को कोई आपत्ति उज्र हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस में मय पुख्ता दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।

-उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय, प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद किशनगढ़, अजमेर

क्रमांक / नपकि / प्रा.अ. / कृ.भू.नि. / 2026 / 1390 दिनांक 31.07.26

-: लोक सूचना :-

आवेदक 1. अभिनव गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग, 2. श्रीमती अंजू गर्ग पत्नी श्री बजरंग, 3. श्रीमती वंशीका गर्ग पत्नी श्री दिव्यांश गर्ग, 4.श्री बजरंग लाल गर्ग पुत्र श्री कल्लीराम, 5. श्री दिव्यांश गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग निवासी सुरज विहार कॉलोनी मदनगंज किशनगढ़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिसृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़ – अजमेर	किशनगढ़-बी	1658 / 1637,1659 / 1637,1656 / 1637,1655 / 1637,1657 /	903.00 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिसृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिसृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़

टेलीफोन नम्बर – 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक / न.पा.वि. / 69-A / 2026 / 2977 दिनांक : 31.07.2026

आपत्ति आमंत्रित सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-A के तहत तालिका की आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। कोई आपत्ति। आप इन्हे सूचनार्थ के समय में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों/प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1.	ओम पुरी गोस्वामी पुत्र मोहनपुरी गोस्वामी	शनि मंदिर के पास गुर्जर मोहल्ला बिजयनगर ब्लॉक न. 119 प्लाट न. 05 दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सा	92.90 वर्गमीटर
2.	भैरू पुरी पुत्र मोहनपुरी गोस्वामी	शनि मंदिर के पास गुर्जर मोहल्ला बिजयनगर ब्लॉक न. 119 प्लाट न. 05 दक्षिणी – पूर्वी हिस्सा	92.90 वर्गमीटर
3.	शिव पुरी पुत्र मोहनपुरी गोस्वामी	शनि मंदिर के पास गुर्जर मोहल्ला बिजयनगर ब्लॉक न. 119 प्लाट न. 05 उत्तरी-पूर्वी हिस्सा	92.93 वर्गमीटर
4.	कमला देवी, मुन्नी देवी, मंजू देवी गोस्वामी पुत्री स्वर्गीय मोहनपुरी गोस्वामी	शनि मंदिर के पास गुर्जर मोहल्ला बिजयनगर ब्लॉक न. 119 प्लाट न. 5 उत्तरी पश्चिमी हिस्सा	92.90 वर्गमीटर

– अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन

"मार्बल सिटी किशनगढ़" के चहुँमुखी विकास व लोकसेवा में सदैव तत्पर तथा पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध गौरवमयी उपलब्धियाँ

1. श्रीमदनेश गौशाला मदनगंज किशनगढ़ तथा रेलवे बाउन्ड्री के मध्य सड़क की चौड़ाई रेलवे पुलिया के आगे बहुत कम हो जाती है। इस समस्या के मद्देनजर श्री मदनेश गौशाला प्रबन्ध कार्यकारिणी से सम्पर्क कर बिना किसी राशि के 400 मीटर लम्बी एवं 4 मीटर चौड़ी भूमि प्राप्त की गई है। इसके बाद श्री मदनेश गौशाला की पूर्व में बनी दीवार को ध्वस्त करके मूल सड़क से 4 मीटर अन्दर की ओर नई दीवार का निर्माण कार्य करवाया गया। सड़क की चौड़ाई में 4 मीटर की वृद्धि हो जाने से औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को भारी सुविधा हो ग ई। यह किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के इतिहास की अप्रितम व अनूठी उपलब्धि है।
2. डम्पिंग यार्ड प्रथम अब एक पर्यटन स्थल बन गया है, जो स्क्रो यार्ड के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में दश कि घूमने आते हैं। उनकी सुविधा के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवायी गई हैं एवम् पर्यावरण संरक्षा के मद्देनजर हजारों पेड़ लगवाये गये है।
3. किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने उद्योग हित में रीको किशनगढ़ कार्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत एक लम्बे समय से राज्य सरकार से निवेदन करती आ रही थी। जिसे स्वीकार करते हुए किशनगढ़ रीको कार्यालय को यूनिट कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया तथा नये भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज भवन लगभग पूरा हो चुका है । इस भवन / कार्यालय का शुभारम्भ दिनाँक 04.11.2025 को हो गया है।
4. किशनगढ़ मार्बल एवम् ग्रेनाइट औद्योगिक क्षेत्र में कई वर्षो से 100 बेड़ के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की माँग किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन केन्द्र सरकार से करती आ रही थी। केन्द्र सरकार द्वारा दिनाँक 10.02.2023 को औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की सैद्धान्तिक घोषणा कर दी गई थी तथा अब इसके निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि आवंटन का पट्टा नगर परिषद, किशनगढ़ द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दिनांक 10.01.2025 को किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन सभागार में सौंप दिया गया है। यह सब किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की वर्षों के प्रयासों का सुपरिणाम है।
5. मार्बल एवम् ग्रेनाइट उद्योग में दुर्घटना में कामगार की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए दुर्घटना बीमा योजना चालू :
   मार्बल एवम् ग्रेनाइट उद्योग में हो रही दुर्घटनाओं से आर्थिक सहयोग के बारे में होने वाली समस्या के समाधान बाबत माह अप्रेल 2021 से श्रमिकों / कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरूआत की गई। आज दिनाँक तक लगभग 6000 श्रमिकों / कार्मिकों की दुर्घटना बीमा पोलिसी बन गई हैं।
6. किशनगढ़ उपखण्ड़ का अत्याधुनिक उपचार केन्द्र मार्बल सिटी अस्पताल है। इस वजह से रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहने से अस्पताल का वर्तमान भवन कम पड़ने लग गया है। रोगियों को स्थानाभाव के कारण किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए अस्पताल भवन विस्तार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस विस्तार के बाद इस अस्पताल की क्षमता 360 बेड़ की हो जायेगी।
7. किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के ठोस प्रयासों से पंचम चरण में श्रीनाथ मार्बल मकराना रोड़ के सामने की तरफ 500 मीटर लम्बे नाले का निर्माण कार्य रीको से करवाया गया।
8. खातौली, काली डूंगरी, रहीमपुरा, रलावता, सलेमाबाद, मोहनपुरा एवम् अन्य नये मार्बल ग्रेनाइट औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली की समस्या के समाधान के लिए नये जीएसएस की स्थापना बाबत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ को 07 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई । जीएसएस की स्थापना हो चुकी है। इसी क्रम में ऊर्जा खपत बढ़ने से चत